झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय
आदेश

श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा, तदेन रोकड़पाल, जिला उद्योग केन्द्र, रॉची सम्प्रति निलंबित उच्च वर्गीय लिपिक, कोटि नियंत्रण कार्यालय रॉची, मुख्यालय–जिला उद्योग केन्द्र, रॉची को रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा इनके विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–03/05 सम्प्रति वि0वाद सं0–15/2005 दर्ज किया गया।

उक्त के कारण निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या–1815 दिनांक 27.06.2005 द्वारा निलंबित किया गया तथा कार्यालय आदेश ज्ञापांक–2664 दिनांक 23.08.2005 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. पुलिस निरीक्षक निगरानी ब्यूरो, रॉची के पत्रांक 2929 दिनांक 25.07.2005 के आलोक में निदेशालय के आदेश संख्या–3816 दिनांक 02.09.2005 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गयी।

3. न्यायिक हिरासत से रिहा होने के पश्चात् निदेशालय के आदेश संख्या–5088 दिनांक 16.12.2005 द्वारा श्री सिन्हा निलंबित रोकड़पाल को निलंबन से मुक्त किया गया।

4. श्री सिन्हा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य गठित किया गया कि श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा पर लगाये गये आरोप पर कोई ठोस एवं विवाद रहित प्रमाण उपस्थापित नहीं कराया गया है। श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा को संदेह का लाभ दिया जा सकता है। मामला विशेष न्यायाधीश (निगरानी), रॉची के अदालत में विचाराधीन है, न्यायालय के निर्णय से विभागीय कार्यवाही का निर्णय प्रभावित होगा।

5. निगरानी थाना काण्ड संख्या–03/05 सम्प्रति वि0वाद सं0–15/2005 में माननीय निगरानी न्यायालय, रॉची द्वारा धारा–7 PC Act-1988 के तहत 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/–रु0 (पॉच हजार रुपये) जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर 03 माह का साधारण कारावास एवं धारा–13(2) सह पठित 13(1)D PC Act-1988 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एवं 5000/–रु0 (पॉच हजार रुपये) जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर 03 माह का साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी।

उक्त सजा की सूचना पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रॉची के पत्रांक 3731 अनु0 दिनांक 26.03.2019 द्वारा निदेशालय को प्राप्त हुआ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रॉची से प्राप्त उक्त सजा की सूचना के आलोक में निदेशालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 780 दिनांक 05.04.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निदेशालय के पत्रांक 779 दिनांक 05.04.2019 द्वारा श्री सिन्हा से कारण पृच्छा की गयी कि माननीय निगरानी न्यायालय रॉची द्वारा दोषी पाते हुए दी गयी उक्त सजा के लिए क्यों नहीं झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील) नियमावली–2016 के नियम–9(2) (ख) एवं नियम–20 तथा नियम–14 (XI) के तहत आपको सेवा से वर्खास्त कर दिया जाय।

उक्त कारण पृच्छा के आलोक में श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा निलंबित उच्च वर्गीय लिपिक द्वारा कारण पृच्छा समर्पित करते हुए अनुरोध किया गया कि मेरे द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रॉची में Section-374 (2) of the code of criminal procedure-1973 के अन्तर्गत अपील दायर की गयी है जो सुनवाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची द्वारा स्वीकृत है जिसका नं0–CR Appeal (SJ) No. 259 of 2019 है। माननीय न्यायादेश के आलोक में जुर्माना की राशि क्रमशः रु0 5000/– एवं रु0 5000/– कुल राशि रु0 10000/– (दस हजार रुपये)

दिनांक 26.03.2019 को जमा करा दिया गया है। मामला Prejudice है। इसलिए अपील के निष्पादन/निर्णय तक सेवा से बर्खास्त करने की कारवाई स्थगित रखने की कृपा की जाय।

श्री सिन्हा से प्राप्त उक्त कारण पृच्छा के संदर्भ में विधि (न्याय) विभाग द्वारा दिये गये परामर्श संदर्भ में उल्लेख है कि :–

"It is further relevant to state that the Apex Court has consistently held that pendency of the appeal cannot be a ground to retain a convicted Government servant in service and the order of dismissal of the employee based on conviction is justified in terms of proviso (a) to Article 311(2) of the Constitution of India."

"In view of Article 311(2) or in terms of Service Rules as applicable in the cases of government servant in the State of Jharkhand, an employee who is convicted on the criminal charge can be removed from service with issuance of a show cause notice. That there is no dispute on the issue that no departmental proceeding would be required to be conducted in a case where the person is sought to be removed on the ground of being convicted on a criminal charge but such a convicted employee cannot be removed by way of dismissal from service without giving a notice.

विधि (न्याय) विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा तदेन रोकड़पाल, जिला उद्योग केन्द्र, रॉची सम्प्रति निलंबित उच्चवर्गीय लिपिक, कोटि नियंत्रण कार्यालय, रॉची, मुख्यालय–जिला उद्योग केन्द्र, रॉची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–14 (XI) के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

निदेशक उद्योग
उद्योग निदेशालय

ज्ञापांक 1730 /रॉची, दिनांक 03/09/2019
01/उ0नि0/आरोप–06/05

प्रतिलिपि :– सचिव, उद्योग विभाग/पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रॉची/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रॉची/महाप्रबन्धक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड एवं श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा, निलंबित उच्चवर्गीय लिपिक, कोटि नियंत्रण, रॉची मुख्यालय–जिला उद्योग केन्द्र, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 1730 /रॉची, दिनांक 03/09/2019
01/उ0नि0/आरोप–06/05

प्रतिलिपि :– श्री प्रवीण कुमार, उद्योग निदेशक के गोपनीय कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक उद्योग